

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28001/19-20 /

दिनांक: 19.06.19

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (मुख्यालय)

विषय:- भण्डार में उपलब्ध स्थायी सामग्री का वर्ष 2018-19 का भौतिक सत्यापन करने एवं बेशी अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का निस्तारण बाबत ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के स्थायी भण्डार पंजिका में उपलब्ध सामग्री का सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के पार्ट -II के नियम 12, 13 में दी गई निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार भण्डार में उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन दिनांक 30.06.2019 तक अनिवार्य रूप से निर्धारित कमेटी के माध्यम से सम्पन्न किया जावे । तत्पश्चात जिले की समेकित भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट बनाई जाकर इस कार्यालय को दिनांक 31.07.2019 तक अनिवार्य रूप से भिजवाई जानी सुनिश्चित करें ताकि इस कार्यालय द्वारा पूरे विभाग की समेकित रिपोर्ट निदेशक, निरीक्षण विभाग जयपुर को भिजवाई जा सके ।

भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का निस्तारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट-II के नियम 16 से 21 एवं 22 से 27 में अंकित प्रावधानों के अनुसार करने की कार्यवाही करें । नकारा सामग्री के निस्तारण हेतु शक्तियां सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट-III के आईटम संख्या 35 से 37 के अनुसार होगी । नकारा सामग्री के निस्तारण के कार्य को अभियान के रूप में संचालित किया जावे तथा इस सम्बन्ध में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार कमेटी का गठन किया जावे । इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव को सम्बोधित पत्र दिनांक 06.06.19 द्वारा विभिन्न विद्यालयों में अनुपयोगी सामान अभियान चलाकर निस्तारण कराने के निर्देश दिये हैं । अतः माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभाग के विद्यालयों में पड़े अनुपयोगी सामान का निस्तारण अभियान चलाकर दिनांक 30.09.19 तक पूर्ण कर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करें । प्रत्येक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय अपने जिले के अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में अनुपयोगी सामान निस्तारण का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे । वरिष्ठतम लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी I,II एवं कनिष्ठ लेखाकार को इस अभियान हेतु विशेष रूप से निर्देशित एवं प्रभारी नियुक्त किया जावे । मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 5 तारीख को निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से caosecedu@gmail.com पर अपलोड करें ।

क्र.सं.	कार्यालय/विद्यालय का नाम	सामान का पुस्तक मूल्य	नीलामी से प्राप्त आय	जी.एस.टी.	नीलामी से प्राप्त कुल आय	चालान नं./दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

मासिक प्रगति सूचना आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। मासिक प्रगति सूचना न आने एवं नियमों के अनुसार निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28001/19-20/

दिनांक: 19.06.2019

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि भण्डार में उपलब्ध समस्त अनुपयोगी सामग्री का सत्यापन पश्चात निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
2. उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
4. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर